"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमाक–5055/वि.स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबधी नियमावली के नियम 64 के उपबधो के पालन मे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय (सशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमाक 13 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 को पुर स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र. 13 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) को और सशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष मे छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो –

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे होगा ।

(3) यह राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) (जो इसमे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप मे निर्दिष्ट है) मे,–

(एक) प्रस्तावना मे, शब्द ''कुशाभाऊ ठाकरे'' के स्थान पर, शब्द ''चदूलाल चद्राकर'' प्रतिस्थापित किया जाये,

(दो) धारा 1 मे, उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

''(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ चदूलाल चद्राकर पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) कहलायेगा।''

(तीन) शब्द ''कुशाभाऊ ठाकरे'' जहॉ कही भी आया हो के स्थान पर, शब्द ''चदूलाल चद्राकर'' प्रतिस्थापित किया जाए ।

धारा 11 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम मे, धारा 11 मे, –

(क) उप–धारा (1) मे, शब्द ''तालिका (पेनल) मे से'' के पश्चात्, शब्द ''राज्य सरकार के परामर्श पर'' के स्थान पर, शब्द ''मत्रि–परिषद् के निर्णय के अनुसार'' प्रतिस्थापित किया जाये, और

(ख) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

''(2) कुलाधिपति एक खोज समिति गठित करेगा, जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होगे, अर्थात् –

(एक) कार्य परिषद् द्वारा अनुशसित एक व्यक्ति,

(दो) राज्य सरकार द्वारा अनुशसित राज्य के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति, और

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

कुलाधिपति, उपरोक्त तीन व्यक्तियो मे से एक को समिति के अध्यक्ष के रुप मे नियुक्त करेगा ।''

4 मूल अधिनियम मे, धारा 12 मे,– धारा 12 का सशोधन

(1) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

"(3) इस अधिनियम मे अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(एक) कुलपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक मत्रि–परिषद् उसकी सेवा लेना उचित समझे,

(दो) मत्रि–परिषद् के निर्णय के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति को किसी भी समय उसके पद से तत्काल प्रभाव से हटा देवेगे,

(तीन) मत्रि–परिषद, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त्त कर सकती है।"

(2) उप–धारा (4) का लोप किया जाये।

(3) उप–धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

"(5) उप–धारा (3) के अधीन आदेश मे विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।"

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) के प्रावधानो मे, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये बेहतर प्रावधानो का उपबध करने के प्रयोजन हेतु, सशोधन किया जा रहा है।

और यत, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कार्यो को सुगम बनाने एव एकरुपता लाने को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) मे सशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति की दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) मे सशोधन करना आवश्यक है ।

अत यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर
दिनाक– 25–03–2020

उमेश पटेल
उच्च शिक्षा मत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) की धारा 11 के उप–धारा (8) का सुसगत उद्धरण –

राज्य शासन एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो दो वर्ष से अधिक अवधि की नही होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छ माह के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियो का गठन करे और उक्त प्राधिकारियो का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियो को प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यो का पालन करेगा।

(2) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एव जनसचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) की धारा 12 के उप–धारा (6) का सुसगत उद्धरण –

कुलपति की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी रूग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा मे, जिसमे अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नही किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नही है तो राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी सकाय का सकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप मे उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पदग्रहण या पुन ग्रहण नही कर लेता है

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इतजाम छ मास से अधिक कालावधि तक चालू नही रहेगा।

चन्द्र शेखर गगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020